"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अगस्त 2010—भाद्र 6, शक 1932

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश."

2. नियम 13 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे."

3. अनुसूची एक के कॉलम (6) में, शब्द "नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर, शब्द "अभ्युक्ति" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. अनुसूची-तीन के कॉलम (6) तथा अनुसूची-चार के कॉलम (5) में विद्यमान टीप के पश्चात् निम्नलिखित टीप अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "**टीप :**—समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्देशित सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति संवर्ग के एक सदस्य का समिति में सम्मिलित किया जाएगा और समिति की सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी."

5. "उक्त नियमों के अंग्रेजी अनुवाद के अनुसूची-एक के कॉलम (6) में जहां कहीं भी शब्द "Statistical" आया है, के स्थान पर, शब्द "Supernumerary" प्रतिस्थापित किया जाए."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 28th August 2010

NOTIFICATION

No. F 4-25/2006/32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Town & Country planning Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service and Recruitment Rule, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For clause (a) of Rule 2, the following clause shall be substituted, namely :—
   "(a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means the Director, Town and Country Planning."

2. After sub-rule (2) of rule 13, the following sub-rule shall be inserted, namely :—
   "(3) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) rule 2003 shall apply in the appointment by promotion."

3. In column (6) of Schedule-I, for the words "Appointing Authority" the word "Remark" shall be substituted.

4. In column (6) of Schedule-III and column (5) of Schedule-IV, after existing Note the following Note shall be inserted, namely :—
   "**Note :**— if the nominated member, other than the member presiding the Committee, do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes Categary of the same status shall be included in the Committee and the number of the members of the Committee shall be extended up to that limit".

5. In column (6) of Schedule-I, for the word "Statistical' wherever it occur the word "supernumerary" shall be substituted only in English version of the rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.